फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

रेखाराम बनाम रामलाल

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

नम्बर 63 / 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.18	अभिभाषक अपीलांट श्री रामावतार बूरी 1 उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम सिनियाला के खसरा नम्बर 187, 188 तादादी 0.4000 हेक्टर, 13.4000 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 13.4400 हेक्टर भूमि वाके तहसील नोखा में स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज चला आ रहा है। अपीलांट स्वयं की खातेदारी भूमि पर कृषि कुएं हेतु विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जो कि अपीलांट के पुत्र है, ने अदालत मातहत के समक्ष मिथ्या कथन प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत करते हुए एकतरफा तौर पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। उक्त आदेश के कारण अपीलांट को अपने धारण की भूमि पर कृषि कुएं हेतु विद्युत कनेक्शन लेने में कठिनाई का सामनर करना पड़ रहा है। उन्होनें आगे बताया कि चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलांट के पुत्र है जिन्हें अपीलांट के जीवनकाल में वादगत् भूमि के विभाजन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर वादगत् भूमि के बाबत स्थगन आदेश प्रसारित किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–09–2018 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 11–09–18 को एकतरफा आदेश पारित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी किया कि वादगत् आराजी मौजा सिनियाला तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 187 व 188 में क्रमशः 0.4000 हेक्टर व 13.4000 हेक्टर कल ति‍ा 2 रकबा 13.4400 हेक्टर के मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे ।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलांट के पुत्र है। जिन्हें अपीलांट के जीवनकाल में वादगत् भूमि के विभाजन का कोई अधिकार हासिल नहीं है।

इसी के साथ प्रकरण में अपीलांट वादगत् भूमि पर कृषि कुएं हेतु विद्युत कनेक्शन स्थापित करना चाहता है क्योंकि विद्युत कनेक्शन के बिना फसल काश्त नहीं हो पा रही है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की आड़ में अपीलांट को विद्युत कनेक्शन स्थापित करने में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

चूंकि प्रकरण वर्तमान में अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है तथा अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होने के लिए स्वतन्त्र है। जहॉ तक वादगत् भूमि पर विद्युत कनेक्शन स्थापित करने का प्रश्न है, अपीलांट का उक्त कृत्य कृषि भूमि विस्तार व फसल काश्त से संबंधित है। **ऐसी स्थिति में न्यायहित में व राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में अपीलांट को वादगत् भूमि पर विद्युत कनेक्शन लेने की हद तक अपीलाधीन आदेश दिनांक**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

11–09–2018 की पालना स्थगित फरमाई जाती है। अपीलांट वादगत् भूमि मौजा सिनियाला तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 187 व 188 में कमशः 0.4000 हेक्टर व 13.4000 हेक्टर कल ति 2 रकबा 13.4400 हेक्टर पर कृषि कुए हेतु विद्युत कनेक्शन लेने हेतु स्वतन्त्र है।

चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष सुनवाई जैरकार है। यदि अपीलांट विद्युत कनेक्शन के अलावा उक्त आदेश से किसी प्रकार का कोई एतराज है तो आगामी नियत दिनांक को उपस्थित होकर व्यक्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः उक्त विवचेना के आधार पर अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार की जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner